

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर। L

प्र०क्र० /17-18 नि.मा.

निगरानी/भिण्ड/भू.र/2017/3753

गोविंद सिंह पुत्र स्व. रामदत्त सिंह निवासी
ग्राम लहरौली परगना व जिला भिण्ड, हाल
निवासी शिवपुरी म०प्र०।

.....आवेदक

विरुद्ध

श्री. विनीत देवी का हस्त
द्वारा आज दि.
प्राप्त 9-10-2017 ई.

12-10-17

✓shu
Nofer
9-10-2017

1. जनेश सिंह उर्फ योगेश सिंह निवासी लहरौली परगना व जिला भिण्ड म०प्र०।
2. श्रीमती मुन्नी देवी विधवा लालसिंह उर्फ बलभद्र सिंह निवासी ग्राम लहरौली परगना व जिला भिण्ड म०प्र०।
3. इन्द्रेश सिंह।
4. देवराज सिंह।
5. बंगाली सिंह तीनों पुत्रगण लालसिंह उर्फ बलभद्र सिंह निवासी ग्राम लहरौली परगना व जिला भिण्ड।
6. श्रीमती रेश्मा विधवा रामगोपाल सिंह ग्राम लहरौली परगना व जिला भिण्ड म०प्र०।
7. कृष्णपाल सिंह निवासी ग्राम लहरौली परगना व जिला भिण्ड म०प्र०।
8. श्रीमती कृष्णा कुशवाह विधवा डॉ. रणछोड़ सिंह निवासी ग्राम लहरौली, हाल बुनियादी स्कूल के पीछे।
9. राजीव सिंह।
10. संजीव सिंह दोनों पुत्रगण डॉ. रणछोड़ सिंह निवासी ग्राम लहरौली परगना व जिला भिण्ड, हाल निवासी बुनियादी स्कूल के पीछे भिण्ड।

11. यदुनाथ सिंह (फौत)
11. (1). लता विधवा यदुनाथ सिंह
11. (2). भानुप्रताप सिंह कुशवाह
11. (3). छोटू सिंह कुशवाह, दोनों पुत्र स्व. यदुनाथ सिंह, तीनों निवासी ग्राम लहरौली हाल निवासी बुनियादी स्कूल के पीछे भिण्ड म0प्र0।
12. नरेश सिंह (फौत)
12. (1) श्रीमती कौशल्या विधवा नरेश सिंह
12. (2) सौरभ पुत्र स्व. नरेश सिंह, दोनों निवासी ग्राम लहरौली परगना व जिला भिण्ड म0प्र0।
13. श्रीमती सरला उर्फ भूरी (फौत)।
14. धमेन्द्र सिंह।
15. सुनील सिंह।
16. मुन्ना सिंह तीनों पुत्रगण स्व0 जगमोहन सिंह निवासी ग्राम लहरौली, हाल निवासी पुरानी वस्ती भिण्ड म0प्र0।
17. ब्रजभूषण सिंह।
18. देवेन्द्र सिंह दोनों पुत्रगण स्व0 शिवदत्त सिंह निवासी ग्राम लहरौली परगना व जिला भिण्ड, हाल निवासी लहार रोड विलीप नगर भिण्ड म0प्र0।अनावेषकगण

प्रकरण क्रमांक 105/15-16 नि.मा. में न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0 द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 09/08/17 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी।


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3753

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p>	




प्रशासकीय सदस्य

सिं
जे
र